न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी

परिवाद संख्या–610 / 2020

CNR NO. UPKS04-000590-2020

राम मिलन बनाम सरजू प्रसाद आदि

20.01.2021

पत्रावली आज तलबी के बिन्दु पर आदेषार्थ नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि पर तलबी के बिन्दु पर सुना गया।

परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि परिवादी को विपक्षीगण सरजू प्रसाद, अंकित, सविता देवी व अन्य व्यक्तियों द्वारा भद्दी–भद्दी गालियां दी गयी, मारा पीटा गया एवं जान से मारने की धमकी दी गयी व उसके जेब में रखा पॉच हजार रूपया व उसके पिता के जेब में रखा एक हजार रूपयो छीन लिया जाना कहा गया है। परिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दं0प्र0सं0 में स्वंय का एवं धारा 202 दं0प्र0सं0 में पी0डब्लू0–1 कैलाश नाथ एवं पी0डब्लू0–2 अशोक कुमार का बयान अंकित कराया है। उक्त साक्षियों ने परिवादी के कथनों का समर्थन किया है। प्रलेखीय साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत मामले में परिवादी द्वारा दाखिल मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण सरजू प्रसाद व अंकित के विरूद्ध धारा–323, 504, 506, 392 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत व विपक्षी सविता देवी के विरूद्ध धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अभियुक्तगण सरजू प्रसाद व अंकित धारा–323, 504, 506, 392 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत व अभियुक्ता सविता देवी धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण सरजू प्रसाद व अंकित को धारा–323, 504, 506, 392 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत व अभियुक्ता सविता देवी को धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 के अधीन विचारण हेतु तलब किया जाता है। धारा 204 दं0प्र0सं0 का अनुपालन करने के पश्चात अभियुक्तगण को समन जारी हो।

पत्रावली अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु दि0 20.02.2021 को पेश हो।

(कुलदीप सिंह–III)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी।
यू0पी0–1836